



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9, 1937

No. 652]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015 /CHAITRA 9, 1937

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

का.आ. 873(अ).—औषध और प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 129 क के नियम 34 के और उप नियम (13) के नियम 34, उप-नियम (4) के नियम 24 क, उप-नियम (4) के उप-नियम (4) के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार औषध महानियंत्रक (भारत) कार्यालय को प्रस्तुत किए जाने हेतु विभिन्न लाइसेंसों अथवा अनुमतियों से संबंधित आवेदन पत्रों के साथ देय शुल्क के भुगतान के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित अतिरिक्त बैंकों को एतद्वारा विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

- (i) बैंक ऑफ बड़ौदा, लॉ गार्डन शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा टावर, इलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006;
- (ii) बैंक ऑफ बड़ौदा, प्लॉट नं. 8/3/2014/17, अन्नपूर्णा निलयम, बी.के. गुडा, एस.आर.नगर, हैदराबाद नगर-500038;
- (iii) बैंक ऑफ बड़ौदा, राज नगर शाखा, राजनगर, गाजियाबाद-201002, उत्तर प्रदेश
- (iv) बैंक ऑफ बड़ौदा, तारदेव शाखा, एवरेस्ट भवन, डी.जे. दादाजी रोड, तारदेव, मुम्बई, 400034;
- (v) बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडिया एक्सचेंज शाखा, 4 इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700001;
- (vi) बैंक ऑफ बड़ौदा, चेन्नई मेन् बाजार शाखा, 70, राजाजी सलाई, चेन्नई-600001;
- (vii) बैंक ऑफ बड़ौदा, एससीओ-212, सेक्टर -40-डी, चंडीगढ़ - 160036;
- (viii) बैंक ऑफ बड़ौदा, गांधीनगर शाखा, गोल मार्किट, गांधीनगर, जम्मू, जम्मू तबी;
- (ix) बैंक ऑफ बड़ौदा, वास्को-डी-गामा शाखा, पीओ-144, स्वतंत्र पथ, वास्को-डी-गामा, गोवा-403802; और
- (x) बैंक ऑफ बड़ौदा, मलेश्वरम शाखा, 74, सेवथ क्रॉस, मलेश्वरम, बंगलौर-56003

[फा. सं. डी.21013/152/2014-डीसी/डीएफक्यूसी]

कुन्दन लाल शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Health And Family Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2015

S.O. 873(E).—In pursuance of the provisions of sub-rule (4) of rule 24A, sub-rule (4) of rule 34, sub-rule (4) of rule 34A and sub-rule (3) of rule 129A of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, the Central Government hereby specifies the following additional banks for the purposes of payment of fee to be paid along with the applications for various licences or permissions to be submitted to the office of Drugs Controller General (India), namely:—

- (i) Bank of Baroda, Law Garden Branch, Bank of Baroda Towers, Ellis Bridge, Ahmedabad-380006;
- (ii) Bank of Baroda, Plot No. 8/3/2014/17, Annapurna Nilayam, B.K. Guda, S.R. Nagar, Hyderabad Nagar 500038;
- (iii) Bank of Baroda, Raj Nagar Branch, Raj Nagar, Ghaziabad-201002, Uttar Pradesh.
- (iv) Bank of Baroda, Tardeo Branch, Everest Building, D.J. Dadaji Road, Tardeo, Mumbai-400034;
- (v) Bank of Baroda, India Exchange Branch, 4, India Exchange Place, Kolkata-700001;
- (vi) Bank of Baroda, Chennai Main Branch, 70, Rajaji Salai, Chennai-600001;
- (vii) Bank of Baroda, SCO-212, Sector-40-D, Chandigarh-160036;
- (viii) Bank of Baroda, Gandhinagar Branch, Gole Market, Gandhinagar, Jammu, Jammu Tawi;
- (ix) Bank of Baroda, Vasco-Da-Gama Branch, P.O-144, Swatantra Path, Vasco-Da-Gama, Goa-403802; and
- (x) Bank of Baroda, Malleswaram Branch, 74, Seventh Cross, Malleswaram, Bangalore-56003.

[F. No. D.21013/152/2014-DC/DFQC]

K. L. SHARMA, Jt. Secy.